तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
30.4.26	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनावनी वाद रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 354/318 की कुल 5.3004हैक्ट भूमि के लिए प्रस्तुत कर कथन किया कि सन 1976 में लादूराम पुत्र सरदारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता ने अपने नाम गलत आवंटन करा ली उक्त भूमि सरदारा पुत्र मालूराम की नौतोडकर्दा भूमि है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 व असल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है तथा उसकी खातेदारी भूमि है सरदारा के चार लडके व तीन लडकीया है आदि आदि अंकन कर प्रस्तत कर प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार हक हिस्सा का अनुतोश चाहा है वाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.02.2013 का प्रकरण संख्या 15/2013 प्रार्थना पत्र लादूराम पुत्र सरदारा के आधार पर प्रार्थी लादूराम पुत्र सरदारा को भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इंन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय नियम 1975 व भाखरा नियम 1955 के अधिन राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 व नियम 1970 के अन्तर्गत पुख्ता आवंटन कर दी) उक्त आवंटन के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 2014/00085 सरकार बनाम लाधूराम व अपील संख्या 2015/00198 पेश हुई जिसमें आदुराम ने कथन किया की वाद भूमि पूर्व में इन्द्रावती बेवा चुन्नी डोली का आवंटन थी उक्त आवंटन को निरस्त करवाये बिना दिनांक 31.12.2013 को रेस्पोडेन्ट लादूराम को आवंटन कर दी पूर्व में किया गया आवंटन बहाल है माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने बाद सुनवाई दोनो अपीले स्वीकार करके अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01. 02.2013 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 7376/2017 बअनवानी लादुराम बनाम आदूराम आदि विचाराधीन है इसके अतिरिक्त एक अपील लादूराम बनाम आदुराम प्रकरण संख्या 2536/2020 प्रस्तुत है जिसमें यथास्थिति का आदेश भी है इसीप्रकार वाद भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 2018/009 आदुराम बनाम लादूराम प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ निर्णय पारित किया जाकर वाद भूमि अपीलान्ट आदूराम पुत्र चुन्नीराम व रेस्पोडेन्टस 3 ता 11 को इन्द्रावती पत्नि चुन्नी के वारिसान को देने के आदेश पारित किये गये न्यायालय हाजा से उक्त तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया गया है क्लीन हैण्ड से वादी ने वाद पेश नही किया गया है पूर्व में उक्त निर्णयो के जेरकार रहते वाद ... कोर्ट से आरिज है वाद के पक्षकार व विषयवस्तु एक समान है ... उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पेश नही किया जा सकता है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
[illegible] अधिकारी
नोहर

वादी के अधिवक्ता श्री विजयसिह पूर्व में केवल लादूराम पुत्र सरदारा की तरफ से उपस्थिति होकर वादद भूमि को लादूराम के नाम आवंटन होना सही माना तथा भूमि लादूराम की अर्जित होना माना वर्तमान वाद में सरदारा पुत्र मालूराम की बंजड से नौतोड कर्दा माना है इसलिये दोनो तथ्य विरोधाभाषी है

प्रार्थना पत्र धारा 42 आरटीएक्ट के तहत हरिजन व्यक्ति को आवंटन भूमि का वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है उक्त भूमि पूर्व के निर्णय से इन्द्रावती को आवंटित होना साबित है तथा राजस्व न्यायालयो के निर्णय भी इन्द्रावती के पक्ष में है पूर्व के वाद व अपील में वाद भूमि केवल लादू की होना कथन किया अब पूर्व तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया गया है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी है जिसके जैरकार रहते वाद काबिले खारिजी के है

अनवानी वाद में तथ्य वाद वस्तु पूर्व भूमि के व पक्षकार एक समान है तथा विरोध विषय पक्षकार व वाद भूमि के विषय में पूर्व में निर्णय हो चुके है तथा वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है इसलिये पुनः इस न्यायालय में वाद पेश नही किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमावे।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की पूर्व में कोई दावा पेश नही किया गया है केवल आंवटन सम्बधी प्रशासनिक कार्यवाही चली है जो वादी के पिता सरदाराराम की भूमि के सम्बध में गलत आवंटन हुआ है उक्त भूमि सम्वत 2012 से पहले से ही सरदाराराम के कब्जा काश्त में थी तथा उसके फोत होने पर उसके वारिसान के कब्जा काश्त में है जिसके वे खातेदार काश्तकार है पहले आवंटन के सम्बध में प्रशासनिक निर्णय हुए है जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया को नही रोका जा सकता है तथा हितबद्व पक्षकारो को वाद लाने का अधिकार है

प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र बिना किसी नियम कानुन कायदे के पेश किया गया है प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी केवल वादपत्र के आधार पर निर्णय किया जाता है जबाब दावा तथा उसमें प्रस्तुत दस्तावेजात नही पढे जा सकते है प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी /प्रार्थी ने पूर्व में आवंटन के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये गये रेस्टज्यूडीकेटा का सिद्वान्त वाद पर लागू होता है प्रार्थना पत्र पर लागू नही होता है वादी अप्रार्थी पूर्व के आवंटन प्रकरण में पक्षकार नही है इसलिये रेस्टूडीकेटा का सिद्वान्द्व लागू नही होता है घोषणात्मक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है प्रकरण में विधि एवं तथ्यो का मिश्रित बिन्दु है साक्ष्य सबुतों व तनकीयात के आधार पर निर्णय किया जा सकता हे अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

न्यायालय हाजा के द्वारा [illegible] संख्या 15/2013 अनवानी प्रार्थना पत्र लादूराम पुत्र सरदारा [illegible] करते हुए रोही मौजा भावलदेसर के खसरा [illegible] भूमि लादूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वल्द सरदाराराम जाति जाट साकिन भावलदेसर को उपनिवेशन विभाग के परिपत्रों के अनुपालना में दिनांक 01.02.2013 को आवंटन कर दी गई

उपखण्ड अधिकारी नोहर के उक्त आदेश दिनांक 01.02.2013 जिसके द्वारा वाद भूमि लादूराम पुत्र सरदाराराम को आवंटन किया गया था के विरूद्व दो अपील प्रथम अपील संख्या 2014/00085 सरकार बनाम लादूराम व द्वितीय अपील 15/00198 आदूराम बनाम लादूराम पेश की गई

उक्त अपीलो में कथन किया गया कि पूर्व में वाद भूमि इन्द्रावती बेवा चुन्नी जाति ढोली को सन 1976 में आवंटनशुद्वा है उक्त आवंटन आज तक बहाल है उक्त आवंटन को निरस्त किये बिना आदूराम को भूमि आवंटन नही की जा सकती है माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 29.11.2017 को दोनो अपीले स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 01.02.2013 को निरस्त कर दिया माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2017 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में द्वितीय अपील 7376/2017 अनवानी लादुराम बनाम आदुराम पेश की गई जो प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार विचाराधीन है तथा वादी के अधिवक्ता ने भी अपील विचाराधीन होने के सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही किया गया।

इसी प्रकार वाद भूमि के सम्बध में सहायक कलक्टर नोहर के आदेश दिनांक 14.02.1979 जिसके द्वारा वाद भूमि अपीलान्ट को आवंटन की गई थी को रेस्पोडेन्टस को आवंटन की गई है को निरस्त करवाने के लिये आदेश दिनांक 14.02.1979 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक अपील आदुराम बनाम लादूराम पेश की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने विधिवत सुनवाई के उपरान्त दिनांक 21.07.2020 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वाद भूमि अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज करने व कब्जा सौपने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है एवं यथास्थिति का स्थगन आदेश भी है।

वादी ने यह वाद वादभूमि वादी के पिता सरदाराराम के द्वारा सम्बत 2012 से पूर्व में नोतोड करदा होने का कथन कर सरदाराराम के वारिसान वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है कि घोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

पूर्व में वाद भूमि के सम्बध में सरदाराराम के पुत्र लादूराम को भूमि आंवटन की गई थी जिसके विरूद्व वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है जिसका वादी के द्वारा किसी प्रकार का विरोध नही किया गया

वादी का कथन है कि पूर्व में आवंटन के सम्बध में निर्णय पारित किये गये है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करने के अधिकारी है रेस्जयूडीकेटा आरिज नही होता है स्वीकार योग्य नही है जब तक वाद भूमि आवंटन के सम्बध में किसके हक हिस्सा की भूमि है का निर्धारण नही होता तब तक वादी किसी प्रकार का वाद पेश करने का अधिकारी नही है [illegible] जिसके सम्बध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में हस्तगत वाद में वर्णित भूमि व पक्षकार [illegible] आदेश है इसलिये यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:13:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

न्यायालय वाद भूमि के सम्बध में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नही है।

वाद में वर्णित भूमि एव पक्षकारो के सम्बध में पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है जिसमें पारित निर्णय अनुसार ही कार्यवाही की जानी न्यायोचित है

वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय पारित करने के कारण उसी भूमि के सम्बध में पुनः निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नही है एवं वाद भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील भी विचाराधीन है जिसका अभी अन्तिम निर्णय नही हुआ है ऐसी स्थिति में वाद में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है।

अतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested